



# भा.कृ.अनु.प-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI

मुशहरी प्रखेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार), भारत

Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India

Website: [www.nrclitchi.icar.gov.in](http://www.nrclitchi.icar.gov.in) Email: [director.nrcl@icar.gov.in](mailto:director.nrcl@icar.gov.in)

संचिका संख्या-12-1(04)/क्रय अनुभाग/2023/

दिनांक-10 जुलाई, 2023

## निविदा सूचना-क्रय/07/2023-24

विषय:- भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, के मुशहरी, प्रखेत्र की लौंगन लीची फल की वर्ष 2023 की नीलामी।

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर, की तरफ से 2023 के लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करती है। निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है।

प्रखेत्र	पौधों का विवरण	अग्रधन राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
	लौंगन लीची फल की वर्ष 2023 की नीलामी	15000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र)	28 जुलाई, 2023 11:00 बजे पूर्वाह्न	28 जुलाई, 2023 03:30 बजे अपराह्न

नोट: सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा जो कि कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। अन्य निविदाकर्ता की अग्रधन राशि को निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रखेत्र उत्पाद को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा प्रारूप में अपना निविदा क्रमशः इस कार्यालय को जमा कर सकते हैं।

### निविदा हेतु नियम एवं शर्त:-

1. निविदा पत्र, केवल इस कार्यालय के वेबसाइट [nrclitchi.icar.gov.in](http://nrclitchi.icar.gov.in) पर उपलब्ध रहेगा जिसे निविदाकर्ता द्वारा स्वयं डाउनलोड करना होगा। भरा हुआ निविदा पत्र जमा करने के समय निविदा पत्र के साथ निविदा शुल्क 500.00 (पाँच सौ रुपये) की डी.डी. एवं अग्रधन राशि 15000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की डी.डी. सलग्न करना होगा। अग्रधन राशि केवल डी.डी. के रूप में ही स्वीकार्य होगा। निविदा की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। डी.डी. ICAR-Unit NRCL के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, मुशहरी, मुजफ्फरपुर (बिहार)-शाखा कोड SBIN0014283 में देय होगा।

2. सभी निविदा बन्द लिफाफा में भरा होना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या-07/2023-2024 'लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा' लिखी होनी चाहिए। निविदा कार्यालय के कक्ष में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अंतिम तिथि एवं समय तक जमा किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक (एडी सहित) द्वारा भेजी जा सकती है। डाक से भेजने पर कोई क्षति/देर के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. डाक द्वारा प्राप्त निविदा भी निविदा बॉक्स में डाल दिया जायेगा जिसे समिति द्वारा अंतिम तिथि एवं समय पर सील कर दिया जायेगा।

4. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु प्रखेत्र उत्पादों का निरीक्षण प्रातः 11.00 से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्रखेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है।

5. निविदा खुलना' निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते हैं।

6. भुगतान की विधि-निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा जमा की गयी रकम का 50 प्रतिशत राशि संस्थान के खाता पर जमा करना होगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान फल तुड़ाई के प्रारंभ करने के 5 दिन पहले करना होगा। पूर्ण राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। नकद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

7. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी की जा सकती है।

08. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

09. मध्यस्तता—किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) को प्रेषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।

10. सुरक्षा व्यवस्था—सफल निविदाकर्ता को फलों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, कीट एवं रोग का प्रकोप प्राकृतिक विनाश आपदा अथवा किसी अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा एवं इस प्रकार के आवेदन के उपर विचार नहीं किया जायगा।

11. फसल उपचार—ठकेदार विभिन्न प्रखण्डों के पौधों की सिंचाई, कीटनाशक का व्यवहार एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग संबंधित वैज्ञानिक से मिलकर एवं लिखित राय लेकर कर सकते हैं।

12. प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों की निगरानी में ठकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फल की तुड़ाई पेड़ों से करनी होगी। तुड़ाई कार्य प्रातः 07:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों में प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित ब्लॉक वैज्ञानिक के निर्देशानुसार ही करनी होगी।

13. इस केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई अन्य कार्यों के कराये जाने पर ठकेदार को कोई हस्ताक्षर/आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। फलों की तुड़ाई का लीची पौधों को बिना क्षति पहुँचाए किया जाना होगा।

14. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिक की राय अंतिम होगी।

15. प्रत्येक पौधों की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के वैज्ञानिकों/तकनीशियन/प्रतिनिधि अंकित करेंगे।

16. लीची परीक्षण में संबंधित वैज्ञानिक द्वारा तुड़ाई के समय दिये जाने वाले निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा।

17. संबंधित ब्लॉकों के वैज्ञानिकों एवं प्रक्षेत्र प्रभारी को पेड़ों के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु फलों का नमूना (sample) एकत्रित/लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. फलों की तुड़ाई, रख रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठकेदारों की होगी।

19. ठकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठकेदार की होगी। इस प्रकार से नुकसान की अवस्था में सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20. प्रक्षेत्र के अन्य कार्य (तकनीकी/तुड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करने के उपरान्त ही तुड़ाई करने की अनुमति होगी।

21. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में होगा।

22. ठकेदार फलों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेंगे। जिसकी जानकारी केन्द्र को पहले ही दे देनी होगी। सुरक्षा प्रहरी में तैनात व्यक्तियों का पूरा विवरण फोटो, नाम, पता का परिचय पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/ की प्रति कार्यालय में जमा करना होगा।

23. फलों की तुड़ाई हेतु ठकेदार द्वारा रात्रि में श्रमिकों का ठहराव प्रक्षेत्र के अन्दर मान्य नहीं होगा।

24. फलों की तुड़ाई में किसी भी प्रकार से शाखाओं एवं टहनियों, प्रयोग के दृष्टि से लगाये गये निशान, टैगिंग (जंहहपदह), आदि की क्षति व नुकसान नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाये जाने पर ठकेदार के सुरक्षित राशि की अंशतः या पूर्णतः जब्त कर लिया जायेगा।

25. प्रशासनिक कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।


26. तुड़ाई के लिए लगाए गए श्रमिकों की आयु अनिवार्य रूप से 14 (चौदह) वर्ष के उपर होनी चाहिए।

27. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये गेट पास के बिना संस्थान से लीची ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

28. अन्य कार्य (तकनीकी/तुड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करें। समस्याओं का हल न होने पर सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा।

29. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुरक्षित होगा।

30. प्रायोगिक प्रक्षेत्र प्रखंड से गुणवत्ता जांच एवं अन्य विश्लेषण के लिए 25 या 60 (Annexure-'A') फल प्रति पौधा संबंधित वैज्ञानिक द्वारा लिया जायेगा। इसका विस्तृत विवरण निविदा पत्र के साथ उपलब्ध होगा।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर

लौगन लीची फल की नीलामी की विवरणी (Annexure-'A')

क्रम संख्या	प्रायोगिक प्रखंड का नाम	फलत वृक्षों की संख्या	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आरक्षित फलों/वृक्षों की संख्या
1	वैराइटी मूल्यांकन परीक्षण	85	50 फल प्रति पौधा
2	जर्मप्लास्म- II	12	50 फल प्रति पौधा
3	न्यू जर्मप्लास्म ब्लॉक	06	50 फल प्रति पौधा
4	DUS ब्लॉक के पास रोड साईड लौगन लेन	42	50 फल प्रति पौधा
5	नई प्रौद्योगिकी ब्लॉक	45	50 फल प्रति पौधा
	कुल फलत: वृक्षों की संख्या	190	50 फल प्रति पौधा

उपर लिखे सभी नियम एवं शर्तें मुझे पूरी-पूरी मान्य है।

ठकेदार के हस्ताक्षर

तिथि :

सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर :

(दूरभाष संख्या)

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, के मुशहरी, प्रक्षेत्र में लौंगन लीची की वर्ष  
2023 की नीलामी।

(निविदा दर प्रपत्र)

1. ठेकेदार का नाम:
2. आधार कार्ड सं:
3. पत्राचार का पता: ग्राम—  
पोस्ट—  
थाना—  
जिला—  
पिन कोड—
4. दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या:—
5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 28.07.2023 को 03:30 बजे पूर्वाह्न
6. प्रक्षेत्र मुशहरी, मुजफ्फरपुर
7. फल का विवरण : लीची फल

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों	कुल पौधे	दर (दर साफ-साफ लिखें)	शब्दों में
मुशहरी मुजफ्फरपुर	लौंगन लीची फल	190		

ठेकेदार का हस्ताक्षर :-

तिथि :-

मोबाईल नं: